रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062024-254984 CG-DL-E-27062024-254984

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328]

No. 3281

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 27, 2024/आषाढ 6, 1946 NEW DELHI. THURSDAY. JUNE 27, 2024/ASHADHA 6, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसचना

नई दिल्ली, 27 जुन, 2024

# संख्या 13/2024- सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.िन. 351(अ).— जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतिश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयाितत "टेलीस्कोपिक चैनल ड्राअर स्लाइडर" (एतिश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतिश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 83024110, 83024190, 83024200 और 83024900 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अधिसूचना संख्या 6/13/2023-डीजीटीआर, दिनांक 19 अप्रैल, 2024, जिसे दिनांक 19 अप्रैल, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अनंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि -

(i) विषयगत वस्तुओं का विषयगत देश से भारत को निर्यात इसके सामान्य से कम मूल्य पर किया गया है;

3806 GI/2024 (1)

- (ii) घरेलू उद्योग को विषयगत देश से संबद्ध आयात के कारण सारवान क्षति हुई है;
- (iii) विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं के भारी आयात के कारण सारवान क्षति हुई है;

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अत: अब, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षिति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 13 और 20 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अनंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे शुल्क तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक के अंतर्गत आती है, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

## शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष/उप-शीर्ष	वस्तुओं का	उद्गम का देश	निर्यातक देश	उत्पादक/	राशि	माप की	मुद्रा
		विवरण			निर्यातक		इकाई	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	83024110,	टेलीस्कोपिक	चीन जन.	चीन जन. गण.	कोई भी	614	मीट्रिक	यू इस डी
	83024190,	चैनल ड्राअर	गण.	सहित कोई भी			टन	
	83024200,	स्लाइडर		देश				
	83024900							
2.	83024110,	टेलीस्कोपिक	चीन जन.	चीन जन. गण.	कोई भी	614	मीट्रिक	यू इस डी
	83024190,	चैनल ड्राअर	गण. के				टन	
	83024200,	स्लाइडर	अलावा अन्य					
	83024900							

नोट : सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और पाटन रोधी शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पादन के विवरण के अनुसार किया जायेगा I

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से छह महीने की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी -190349/8/2024- टीओ (टीआरयू-I)] विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

# MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2024

#### No. 13/2024-CUSTOMS (ADD)

**G.S.R. 351(E).**— Whereas, in the matter of 'Telescopic Channel Drawer Slider' (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff items 83024110, 8302 4190, 83024200 and 83024900 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country) and imported into India, the designated authority *vide* its preliminary findings F. No. 6/13/2023-DGTR, dated the 19<sup>th</sup> April , 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 19<sup>th</sup> April , 2024, has provisionally concluded that-

- (i) the product under consideration that has been exported to India from the subject country are at dumped prices;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury;
- (iii) material injury has been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject countries, and has recommended imposition of provisional anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 13 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid preliminary findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the following Table, falling under the Chapter of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, a provisional anti-dumping duty equal to the amount indicated in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely:-

#### **TABLE**

S.N.	Heading/	Description of	Country of	Country of	Producer	Amount	Unit of	Currency
	sub-heading	goods	origin	export	/		measurement	
					exporter			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	8302 4110,	Telescopic	China PR	Any	Any	614	MT	USD
	8302 4190,	Channel		country				
	8302 4200,	Drawer Slider		including				
	8302 4900			China PR				
2.	8302 4110,	Telescopic	Other than	China PR	Any	614	MT	USD
	8302 4190,	Channel	China PR		_			
	8302 4200,	Drawer Slider						
	8302 4900							

**Note**: Customs classification is only indicative, and the determination of anti-dumping duty shall be made as per the description of the PUC.

2. The provisional anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of six months, unless revoked, amended or superseded earlier, from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

**Explanation-** For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of the anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. CBIC- 190349/8/2024 – TO(TRU-I)] VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.